



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082022-238436
CG-DL-E-29082022-238436

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]
No. 413]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

सं. ए-12011/10/2018-स्था.(9102694).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2006 की निरंतरता में सं. ए-12011/1/2005-स्था दिनांक 25 अक्टूबर, 2006, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और पदोन्नति नियम, 2006 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:-

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -

- इन विनियमों को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और पदोन्नति (संशोधन) विनियम, 2022" कहा जा सकता है।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अधिसूचना संख्या ए-12011/1/2005-स्था. दिनांक 25 अक्टूबर, 2006, भारत के राजपत्र में 18 नवंबर, 2006 को प्रकाशित, अधिसूचनाओं के पैरा 5 और पैरा 12 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

	मौजूदा / प्रकाशित	संशोधित / पढ़ने के लिए
पैरा-5	साक्षात्कार: भर्ती नियमों के तहत उम्मीदवार का चयन, नियमों के तहत निर्धारित लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के अलावा, कार्मिक समूह या चयन समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।	साक्षात्कार: भर्ती नियमों के तहत, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित स्तर) पदों के लिए, उम्मीदवार का चयन, नियमों के तहत निर्धारित लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के अलावा, कार्मिक समूह या चयन समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 39020/01/2013-स्था. (बी)-भाग दिनांक 29 दिसंबर, 2015 के अनुसरण में सभी समूह 'ग', समूह 'घ' (जिन्हें अब समूह 'ग' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है) पद और समूह 'बी' श्रेणी के अराजपत्रित पदों और ऐसे सभी समकक्ष पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा। चयन कौशल परीक्षा के अलावा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जहां नियमों के तहत लागू होगा।
पैरा-12	पदोन्नति: विभागीय पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए सत्यनिष्ठा मुख्य मानदंड होगा। विभागीय पदोन्नति के मामले में, जो विचार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 40% अंक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए और 40% पद/विभागीय परीक्षा के लिए कौशल और 20% साक्षात्कार के लिए होंगे।	पदोन्नति: विभागीय पदोन्नति के लिए, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित स्तर) पदों के लिए, विचारार्थ कर्मचारियों के लिए ईमानदारी मुख्य मानदंड होगा। विभागीय पदोन्नति के मामले में, जो विचार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 40% अंक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए और 40% पद/विभागीय परीक्षा के लिए कौशल और 20% साक्षात्कार के लिए होंगे। कनिष्ठ स्तर के पदों अर्थात् सभी समूह 'ग', समूह 'घ' (जिन्हें अब समूह 'ग' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है) पद और समूह 'ग' श्रेणी के अराजपत्रित पदों और ऐसे सभी समकक्ष पदों के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा। कौशल परीक्षा जारी रहेगी, हालांकि ये टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पदोन्नति के मामले में, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/एपीएआर के लिए 40% और विभागीय परीक्षा के लिए 60% का भार होगा। आगे की पदोन्नति चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति/विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित नियम के अनुसार की जाएगी।

3. भारत के राजपत्र में 18 नवंबर 2006 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या ए-12011/1/2005-स्था. दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 में योजना सहायक और सहायक ग्रेड II (यूडीसी) के पदों के संबंध में अधिसूचना के खंड 14.2 के बाद दी गयी तालिका को निम्नलिखित अनुसूचियों से प्रतिस्थापित किया जाता है।

योजना सहायक पद के लिए अनुसूची

1.	पदनाम	योजना सहायक
2.	पदों की संख्या	एक (01)
3.	वर्गीकरण	समूह 'ख' (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	वेतनमान-6 (₹35,400 - 1,12,400) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार
5.	चयनित अथवा गैर चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा	आवश्यक:

	और अन्य योग्यताएं।	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (सिविल)/डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर तीन साल की पूर्णकालिक अवधि या समकक्ष। नोट: वे उम्मीदवार जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आर्किटेक्चर/सिविल इंजीनियरिंग/प्लानिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है, वे भी पात्र हैं। अधिमानी: उम्मीदवार को जीआईएस, शहरी नियोजन में दो वर्ष का अनुभव और जीआईएस सॉफ्टवेयर में काम करने का अनुभव होना चाहिए।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी।	आंतरिक उम्मीदवारों यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कर्मचारियों के लिए आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं है। शैक्षिक योग्यता सीधी भर्ती के समान ही होगी।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	दो वर्ष
10.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा चयन एकल लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसमें सामान्य बुद्धि, तर्क, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता आदि में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और वर्णनात्मक प्रकार के व्यावसायिक/तकनीकी परीक्षण शामिल होंगे। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवार के चयन के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है।	आंतरिक उम्मीदवार जो एआईटीपीई (AITPE) हैं या पद के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव को पूरा करते हैं, वे भी योजना से संबंधित किसी भी पद के लिए पात्र होंगे।
12.	यदि कोई डीपीसी मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिसूचना संख्या के-14011/13/85-एनसीआरपीबी, दिनांक 08.07.1985 के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा।
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं।

सहायक ग्रेड II (यूडीसी) पद के लिए अनुसूची

1.	पदनाम	सहायक ग्रेड II (यूडीसी)
2.	पदों की संख्या	सात (07)
3.	वर्गीकरण	समूह 'ग'
4.	वेतनमान	वेतनमान-4 (₹25,500 - 81,100) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार
5.	चयनित अथवा गैर चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	25 वर्ष से अधिक नहीं

7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यताएं।	आवश्यक: किसी भी विषय में स्नातक। टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान। अधिमानि: हिन्दी/अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग/आशुलिपि में अच्छी गति रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी।	आंतरिक उम्मीदवारों यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कर्मचारियों के लिए आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं है। शैक्षिक योग्यता सीधी भर्ती के समान ही होगी।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष
10.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा: चयन एकल लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसमें सामान्य बुद्धि, तर्क, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता आदि में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और अंग्रेजी भाषा में वर्णनात्मक परीक्षा, गद्यांश, नोटिंग, प्रारूपण आदि और टाइपिंग (कौशल) परीक्षा में योग्यता परीक्षा शामिल है। टंकण (कौशल) परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा में समग्र प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवार के चयन के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है।	लागू नहीं।
12.	यदि कोई डीपीसी मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिसूचना संख्या के-14011/13/85-एनसीआरपीबी, दिनांक 08.07.1985 के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा।
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं।

अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./233/2022-23]

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

(Ministry of Housing and Urban Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2022

No. A-12011/10/2018-Estt. (9102694).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), and in continuation of the National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006 published vide No.A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, the NCR Planning Board hereby **makes the following regulations to amend** the National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006:-

1. **Short title and commencement –**

- (i) These regulations may be called the "National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Regulations, 2022".
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notifications No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, published in the Gazette of India on November 18, 2006, Para-5 and Para 12 of the Notifications, is amended as under:-

	Existing / Published as	Amended /To be read as
Para-5	INTERVIEW: Selection of the candidate under the Recruitment Rules, will be made through interview by the Personnel Group or the Selection Committee as the case may, in addition to written test/skill test wherever prescribed under the Rules.	INTERVIEW: Selection of the candidates under the Recruitment Rules, for Group- 'A' and Group- 'B' (Gazetted level) posts , will be made through interview by the Personnel Group or the Selection Committee as the case may, in addition to written test/skill test wherever prescribed under the rules. In pursuance of Department of Personnel and Training Order No. 39020/01/2013-Estt.(B)-Part dated 29th December, 2015 there will be no interview for recruitment of the candidate for all Group 'C', Group 'D' (which are now reclassified as Group 'C') posts and for non-gazetted posts of Group –'B' Category and all such equivalent posts. Selection will be made on the basis of Written Examination in addition to the Skill Test, wherever applicable under the rules.
Para-12	PROMOTION: Integrity will be the main criteria for employees to be considered for departmental promotion. In case of departmental promotion, who come under the consideration zone 40% marks will be for Annual Confidential Reports and 40% for the skill for the post/departmental examination and 20% for interview.	PROMOTION: Integrity will be the main criteria for employees to be considered for departmental promotion. In case of departmental promotion for Group 'A' and Group 'B' (Gazetted level) posts, who come under the consideration zone, 40% marks will be for Annual Confidential Reports and 40% for the departmental examination and 20% for interview. In case of Junior Level posts i.e. all Group 'C', Group 'D' (which are now reclassified as Group 'C') Posts and for non-gazetted posts of Group –'B' Category and all such equivalent posts there will be no interview for selection of the candidate. Skill Test will be continued, however these test will only be of qualifying nature. In case of promotion, weightage of 40% will be for Annual Confidential Reports/APARs and 60% for departmental examination. Further promotions will be made by the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee/ as laid down in RRs for various posts.

3. In the Notification No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, published in the Gazette of India on November 18, 2006, the table in respect of posts of **Planning Assistant and Assistant Grade II (UDC)** given after the clause 14.2 of the Notification, are substituted with the following Schedules.

Schedule for the post of Planning Assistant

1.	Name of Post	Planning Assistant
2.	No of Post	One (01)
3.	Classification	Group 'B'(Non-gazetted)
4.	Scale of Pay	Pay Level-6 (₹ 35,400 - 1,12,400) as per 7th CPC pay matrix.

5.	Whether Selection Post or non-Selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years
7.	Education and other qualifications required for direct recruits.	<p>Essential:</p> <p>Diploma in Engineering (Civil)/Diploma in Architecture of three years full time duration or equivalent.</p> <p>Note: Those candidates who have done Bachelor degree in Architecture/Civil Engineering/Planning from a recognized university/institution are also eligible.</p> <p>Preferential:</p> <p>Candidate with two years experience in GIS, Urban Planning and working experience in GIS softwares.</p>
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Age not exceeding 35 years for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB. Educational Qualification will be the same as for the direct recruit.
9.	Period of Probation, if any.	Two years.
10.	Method of Recruitment by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	<p>By Direct Recruitment.</p> <p>Selection shall be made based on single Written Competitive Examination consisting of Objective type questions in General Intelligence, Reasoning, General Awareness, Quantitative Aptitude etc. and Professional/ Technical Test of Descriptive type.</p> <p>Merit list will be prepared on the basis of overall performance of candidates in the Written Examination.</p> <p>There will be no interview for selection of candidate.</p>
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made.	Internal candidates who are AITPE or fulfill the qualifications and experience laid down for the post would also be eligible for any post related to Planning.
12.	If a DPC exists what is its composition.	The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 08.07.1985.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not applicable.

Schedule for the post of Assistant Grade II (UDC)

1.	Name of Post	Assistant Grade II (UDC)
2.	No of Post	Seven (07)
3.	Classification	Group 'C'
4.	Scale of Pay	Pay Level-4 (₹ 25,500-81,100) as per 7 th CPC pay matrix.
5.	Whether Selection Post or non-Selection post.	Not applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 25 years.
7.	Education and other qualifications	Essential: Graduation in any subject with typing

	required for direct recruits	speed of 30 W.P.M. in English/ 25 W.P.M. in Hindi and knowledge of computer operation. Preferential: Preference would be given to those having good speed for typing/shorthand both in Hindi/English.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotes.	Age not exceeding 40 years for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB. Educational Qualification will be the same as for the direct recruit.
9.	Period of Probation, if any.	Two years in case of direct recruitment.
10	Method of Recruitment by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Direct Recruitment. Selection shall be made based on single Written Competitive Examination consisting of Objective type questions in General Intelligence, Reasoning, General Awareness, Quantitative Aptitude etc. and Descriptive Test in English Language, Comprehension, Noting, Drafting etc. and Qualifying in Typing (Skill) Test. Merit list will be prepared on the basis of overall performance of candidates in Written Examinations who qualify in the Typing (Skill) Test. There will be no interview for selection of candidate.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made.	Not applicable
12.	If a DPC exists what is its composition.	The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 08.07.1985.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not applicable.

ARCHANA AGRAWAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./233/2022-23]